To Provide Compensation to the Farmers

- *56 SH.SHISHPAL SINGH KEHARWALA, M.L.A.: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-
- a) the total acreage of crops affected due to flood in State;
- b) the total acreage of crops affected due to flood in distric Sirsa and
- c) whether the compensation is likely to be provided by the Government to the farmers who have suffered the loss of crops togetherwith the norms on which basis the amount of compensation will be fixed alongwith the details thereof?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

- a) The total area of crops damaged as per the claims of the farmers in the E-shatipurti portal due to recent flood in the State as on 25.08.2023 is 687586 acre.
- b) The total area of crops affected as per the claims of the farmers in the E-shatipurti portal due to recent flood in Sirsa District as on 25.08.2023 is 6574 acre.
- c) Yes Sir. The State Government has launched a dedicated portal i.e. https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ to ease the process of submission of claims by the affected farmers. The disbursement of compensation shall be done after completion of the verification as per the norms of State Disaster Response Fund (SDRF), following the due procedure. The State norms for crops losses are as under:-

Govt. of India Norms		Haryana State Norms	
Drought, earthquake,		Flood/standing water, electric sparking, fire, heavy	
flood, fire, hailstorm, cold		rain, hailstorm, pest attack and dust storm	
wave/frost, landslide, cloud			
burst and pest attack			
Damage	Norms	Damage	Norms
Where	Rs. 8500/- per ha.	≥ 25 to	Rs. 9000/- per acre
crop	i.e.	< 33 %	(Wheat, paddy, cotton and sugarcane)
loss is	Rs. 3441/- per acre		Rs. 7000/- per acre (Mustard and other
33% and	in rainfed sown		Crops)
above	areas and Rs.	≥ 33 to	Rs. 9000/- per acre
	17000/- per ha. i.e.	< 50 %	(Wheat, paddy, cotton and sugarcane)
	Rs. 6883/- per acre		Rs. 7000/- per acre (Mustard and other
	in assured irrigated		Crops)
	areas, subject to	≥ 50 to	Rs. 12000/- per acre
	minimum assistance	< 75 %	(Wheat, paddy, cotton and sugarcane)
	not less than Rs.		Rs. 9000/- per acre (Mustard and other
	1000 in rainfed		Crops)
	areas or Rs. 2000 in	≥75 and	Rs. 15000/- per acre
	assured irrigated	above	(Wheat, paddy, cotton and sugarcane)
	areas and restricted		Rs. 12500/-per acre (Mustard and other crops.
	to sown areas.	In case of	drought, cold wave/frost, earthquake,
		landslide and cloud burst	
		Where	Rs. 7000/- per acre in assured irrigated areas
		crop loss is	and Rs. 3500/- per acre in rainfed areas.
		33% and	
		above	

किसानों को मुआवजा उपलब्ध कराना

*56 श्री शीशपाल सिंह केहरवाला, एम.एल.ए.:-

क्या उप म्ख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि:-

- क) राज्य में बाढ़ के कारण कुल कितने एकड़ फसलें प्रभावित हुई ;
- ख) सिरसा जिले में बाढ़ के कारण कुल कितने एकड़ फसलें प्रभावित ह्ई; तथा
- ग) क्या फसलों के नुकसान को वहन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा मुआवजा दिए जाने की संभावना है तथा किस नियम के आधार पर मुआवजे की राशि निर्धारित की जाएगी तथा उसका ब्यौरा क्या है?

श्री दुष्यंत चौटाला, उपमुख्यमंत्री, हरियाणा

- क) राज्य में हाल में आई बाढ़ के कारण दिनांक 25.08.2023 को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों द्वारा किये गये दावों अनुसार क्षतिग्रस्त फसलों का कुल क्षेत्रफल 687586 एकड़ है।
- ख) सिरसा जिले में हाल में आई बाढ़ के कारण दिनांक 25.08.2023 को ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर किसानों द्वारा किये गये दावों अनुसार प्रभावित फसलों का कुल क्षेत्रफल 6574 एकड़ है।
- ग) हाँ, श्रीमान जी। राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों द्वारा दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक समर्पित पोर्टल यानी https://ekshatipurti.haryana.gov.in/ लॉन्च किया है। मुआवजे का वितरण राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के मानदंडों के अनुसार सत्यापन पूरा होने के बाद उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाएगा। फसलों के नुकसान के लिए राज्य के मानदंड इस प्रकार हैं:-

भकार ह :-							
भारत सरकार के नार्म	ज	हरियाणा राज्य के नार्मज					
सूखा, भूकम्प, बाढ़,	, आग, ओलावृष्टि, शीत	बाढ़/जलभराव, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग ,					
लहर/पाला, भूस्खलन	, बादल फटना , चक्रवात,	आग, भारी बारिश, ओलावृष्टि, कीट हमले तथा धूल भरी					
सुनामी, हिमस्खलन अ	रि कीट हमले	आंधी					
खराबा	नार्मज	खराबा	नार्मज				
जहां फसल खराबा	8500/- रूपये प्रति	≥ 25 से < 33	9000/-रूपये प्रति एकइ (गेह् , धान,				
33 प्रतिशत या	हैक्टेयर जो कि	तक	कपास और गन्ना)				
इससे अधिक हो	3441/-रूपये प्रति एकड		7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों और				
	बीजा हुआ असिंचित क्षेत्र		अन्य फसलें)				
	और 1 7000/-रूपये प्रति	≥ 33 से < 50	9000/-रूपये प्रति एकड़ (गेह् , धान,				
	हैक्टेयर जो कि	तक	कपास और गन्ना)				
	6883/- रूपये प्रति एकड		7000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों				
	बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र ,		और अन्य फसलें)				
	न्यूनतम सहायता कम से	≥ 50 से < 75	12000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू , धान,				
	कम 1000/- रूपये	तक	कपास और गन्ना)				
	असिंचित क्षेत्र और 2000/-		9000/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों				
	रूपये सिंचित क्षेत्र और		और अन्य फसलें)				
	बोए गए क्षेत्र तक सीमित	≥ 75 से अधिक	15000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहू , धान,				
			कपास और गन्ना)				
			12500/-रूपये प्रति एकड़ (सरसों				
			और अन्य फसलें)				
		सूखा, शीत लहर/पाला, भूकम्प, भूस्खलन, बादल फटना के					
		केस में					
		खराबा	नार्मज				
		जहां फसल खराबा	7000/- रूपये प्रति एकड बीजा				
		33 प्रतिशत या	ह्आ सिंचित क्षेत्र और 3500/-				
		इससे अधिक हो	रूपये प्रति एकड असिंचित क्षेत्र				